भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 417
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

भारत में घृणाजन्य अपराध

†417. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सांप्रदायिकता पर 10 वर्ष की रोक प्रवर्तित करने के लिए कोई ठोस उपाय कार्यान्वित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) भीड़ द्वारा हमलों, पीट-पीट कर हत्या किए जाने और अल्पसंख्यकों पर हमलों सहित घृणाजन्य अपराधों में 2014 के पश्चात से वृद्धि/कमी के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने और जावाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं साथ ही इन अपराधों से संबंधित आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें लोक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ समाज में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर इस आशय की एडवाइजरी जारी की हैं कि वे कानून और व्यवस्था को बनाए रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसे विधि के अनुसार तत्काल दंडित किया जाए। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 103 की उप-धारा 2, मोब-लिंचिंग के अपराध के लिए मृत्यु या आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान करती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं।

*****